दिनांक 27.08.2019

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

खुले में टायर रखने वालों पर निगम की उड़नदस्ता टीम ने की कार्यवाही

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ, खुले में टायर रखने पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूल किया और एक्सपायरी सामान जब्त कर विनिष्टीकरण किया साथ ही दूबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई। आज वैशाली नगर क्षेत्र के पेट्रोल पम्प में खुले में रखे हुए टायर पर डेंगू का लार्वा उत्पन्न न हो कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड वसूलकर टायरों को सुरक्षित स्थानों पर रखवाया गया।

नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने जोन 02 वैशाली नगर एवं 03 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत आने वाले होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों पर कार्यवाही की। जिसमें बचे हुए बासी खाद्य पदार्थ , नालियों पर कचरा , सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा दो दिनों में 26 प्रतिष्ठान से 26 हजार रुपये का दाण्डिक शुल्क वसूलकर निगम कोष में जमा कराया गया साथ ही समझाईस दी गई की बिना लायसेंस संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा सकती है।

आयुक्त के निर्देश पर उड़नदस्ता की टीम सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में सड़क पर कचरा फैलाने वाले तथा सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित, लायसेंस नहीं रखने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। संलग्न-फोटो

जनसम्पर्क अधिकारी